

अनुक्रमांक /Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 100
Total No. of Questions: 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 34
No. of Printed Pages: 34

Suitability Test-19

प्रथम प्रश्न-पत्र First Question Paper

Time Allowed- 3:00 Hours (Including 2nd Que. Paper)
समय - 3:00 घण्टे (द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ ही)

Maximum Marks-100
पूर्णांक - 100

निर्देश : -

Instructions:-

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न के अंक समान हैं। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
All questions are compulsory. All questions shall carry equal Marks. There shall be no negative marking.
2. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 100 हैं। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न-पत्र में निर्धारित संख्या में प्रश्न मुद्रित हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न पत्र मांग लें।
The question paper contains 100 questions. The examinee should verify that the requisite number of questions are printed in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.
3. प्रश्न पत्र के आवरण पृष्ठ पर प्रश्न-पत्र में लगे पृष्ठों की संख्या दी गई। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न-पत्र में निर्धारित संख्या में पृष्ठ लगे हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न-पत्र मांग लें।
The cover page indicates the number of pages in the question paper. The examinee should verify that the requisite number of pages are attached in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.
4. प्रदत्त उत्तर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदानुसार अंकित करें।
Read carefully the instructions given on the answer sheet supplied and indicate your answers accordingly.
5. कृपया उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर निर्धारित प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नहीं।
Kindly make the necessary entries on the answer sheet only at the places indicated and nowhere else.
6. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।
If there is any sort of mistake either of printing or of factual nature in any question, then out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

Civil Procedure Code, 1908

- प्र.क्र. 1— व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी तरीके के लिए विकल्प देने के लिए निर्देश दे सकता है —
- (अ) आदेश X नियम-1-क के अंतर्गत
 (ब) आदेश X नियम-1-ख के अंतर्गत
 (स) आदेश X नियम-1-ग के अंतर्गत
 (द) आदेश XI नियम 1 के अंतर्गत
- Que. Court can direct the parties to opt for any one mode of alternative dispute resolution in civil procedure code , 1908
- (a) Under O- X, R- I A
 (b) Under O- X, R- I B
 (c) Under O- X, R- I C
 (d) Under O- XI, R-I
- प्र.क्र. 2— भरण-पोषण की डिक्की के निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति का वेतन निम्न किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है ?
- (अ) प्रथम एक हजार रुपये और बचे हुए वेतन का $1/3$
 (ब) प्रथम एक हजार रुपये और बचे हुए वेतन का $2/3$
 (स) वेतन का $2/3$
 (द) वेतन का $1/3$
- Que. How much salary of a person can be attached in execution of a decree for maintenance ?
- (a) first one thousand rupees and $1/3$ of the remainder
 (b) first one thousand rupees and $2/3$ of the remainder
 (c) $2/3$ of the salary
 (d) $1/3$ of the salary
- प्र.क्र. 3— सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है, जहाँ साधारण जनता की पहुँच हो ? —
- (अ) धारा 153-अ
 (ब) धारा 153-ब
 (स) धारा 153-स
 (द) धारा 153-द
- Que. In which of the following section of Civil Procedure Code, provision of open court to which the public generally may have access has been provided ?
- (a) Section 153 A
 (b) Section 153 B

- (c) Section 153 C
- (d) Section 153 D

प्र.क्र. 4- सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अधीन लोक उपताप के लिए वाद कौन ला सकता है?

- (अ) महाधिवक्ता
- (ब) कोई भी नागरिक
- (स) जिला मजिस्ट्रेट
- (द) कोई भी 10 या अधिक नागरिक

Que. Who can file a suit under Section 91 of Civil Procedure Code for public nuisance ?

- (a) Advocate General
- (b) Any citizen
- (c) district magistrate
- (d) Any 10 or more citizens

प्र.क्र. 5- निम्न में से कौन सा प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार मुजरा से संबंधित है ?

- (अ) आदेश VIII नियम 5
- (ब) आदेश VIII नियम 6
- (स) आदेश VII नियम 5
- (द) आदेश VII नियम 6

Que. Which of the following provision of Code of Civil Procedure is related to set off ?

- (a) order VIII Rule 5
- (b) order VIII Rule 6
- (c) order VII Rule 5
- (d) order VII Rule 6

प्र.क्र. 6- जहां वाद-पत्र दो प्रतियों में फाईल नहीं किया गया हो तब न्यायालय ऐसे वाद-पत्र को :

- (अ) लौटा सकेगा।
- (ब) नामंजूर कर सकेगा।
- (स) खारिज कर सकेगा।
- (द) मंजूर कर सकेगा।

Que. Where plaint has not been filed in duplicate, then plaint shall be..... by the court :

- (a) returned.
- (b) rejected.
- (c) dismissed.
- (d) accepted.

प्र.क्र. 7— निम्नलिखित मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता :

- (अ) डिक्री के निष्पादन के लिए
- (ब) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए
- (स) विभाजन करने के लिए
- (द) कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए

Que. In which one of the following cases, the court may not issue a commission?

- (a) For execution of a decree
- (b) To examine any person
- (c) To make a partition
- (d) To hold a scientific, technical or expert investigation

प्र.क्र. 8— धारा 148-ए (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कैवियेट निम्न अवसान के बाद प्रवृत्त नहीं रहेगा :

- (अ) 30 दिन
- (ब) 45 दिन
- (स) 60 दिन
- (द) 90 दिन

Que. A caveat lodged u/s 148-A (1) shall not remain in force after the expiry of :

- (a) 30 days
- (b) 45 days
- (c) 60 days
- (d) 90 days

प्र.क्र.9 धारा 11 में वर्णित रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है

- (अ) नैमो डेबिट बिस वेक्सारी (प्रो उना ईटी एडम कौजा)
- (ब) इन्ट्रेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम
- (स) लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पेशीबिलिया
- (द) एकजीक्यूटियो ज्यूरिस नॉन हेबिट इन्जुरियम

Que. The doctrine of res judicata as contained in S. 11, is based on the maxim:

- (a) Nemo debet bis vexari (pro una et eadem causa)
- (b) Interest reipublicae ut sit finis litium
- (c) Lex non cogit ad impossibilia
- (d) Executio juris non habet injuriam

प्र.क्र. 10— “वाद कारणों का संयोजन” संहिता के किस प्रावधान में वर्णित है ?

- (अ) आदेश 2 नियम 3
- (ब) आदेश 2 नियम 2
- (स) आदेश 2 नियम 1
- (द) आदेश 1 नियम 2

Que. Which provision of the code deals with joinder of causes of action ?

- (a) Order 2 Rule 3
- (b) Order 2 Rule 2
- (c) Order 2 Rule 1
- (d) Order 1 Rule 3

प्र.क्र. 11— सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के किस प्रावधान के अंतर्गत 'समय का बढ़ाया जाना' अनुज्ञेय है?

- (अ) धारा 153
- (ब) धारा 148
- (स) आदेश 17 नियम 1
- (द) आदेश 20 नियम 8

Que. Under which provision of civil procedure code, 1908 enlargement of time is permissible

- (a) Section 153
- (b) Section 148
- (c) Order 17 rule 1
- (d) Order 20 rule 8

प्र.क्र. 12— समझौते के आधार पर पारित डिक्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

- (अ) उसी वाद कारण पर नया वाद प्रचलनशील होगा।
- (ब) समझौता डिक्री, वाद के पक्षकारों से संबंधित होना चाहिए।
- (स) समझौता में वाद की विषय वस्तु, पूर्णतः या भागतः समायोजित होना चाहिए।
- (द) समझौता वाद की विषय वस्तु से भिन्न संपत्ति के संबंध में भी हो सकता है।

Que. Which of the following statement is incorrect about decree passed in accordance with compromise?

- (a) Fresh suit on same cause of action will be maintainable.
- (b) Compromise decree must relates to the parties to the suit.
- (c) Subject matter of the suit must be wholly or partially adjusted in the compromise.
- (d) Compromise may relate to the property other than the subject matter of suit.

प्र.क्र. 13— अवयस्क के विरुद्ध पारित डिक्री निम्न में से किस आधार पर अपास्त की जा सकेगी ?

- (अ) मात्र इस आधार पर कि अवयस्क के वादमित्र अथवा संरक्षक वाद की विषय वस्तु में ऐसा हित रखता था जो उस अवयस्क के हित के प्रतिकूल था।
- (ब) वाद के लिए वाद मित्र या संरक्षक के ऐसे प्रतिकूल हित के कारण अवयस्क के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।
- (स) उपरोक्त दोनों
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. On which of the following grounds a decree passed against minor may

be set aside.

- (a) Merely on the ground that the next friend or guardian for the suit of the minor had an interest in the subject matter of the suit adverse to that of the minor
- (b) By the reason of adverse interest of the next friend or guardian for the suit, prejudice has been caused to the interests of the minor.
- (c) Both of the above
- (d) None of the above.

प्र.क्र. 14- प्रत्याक्षेप किसके द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं?

- (अ) अपीलार्थी के द्वारा
- (ब) किसी भी प्रत्यर्थी के द्वारा
- (स) विक्षुब्ध व्यक्ति के द्वारा चाहे वह पक्षकार हो अथवा नहीं
- (द) न्यायालय द्वारा

Que. Cross objection may be filed

- (a) By the appellant
- (b) By any of the respondents
- (c) By aggrieved person weather he was a party or not
- (d) By court

प्र.क्र. 15- मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की किस धारा में किया गया है ?

- (अ) धारा 35
- (ब) धारा 35 क
- (स) धारा 35 ख
- (द) धारा 35 ग

Que. Which section of civil procedure code, 1908 provides compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences.

- (a) Section 35
- (b) Section 35 A
- (c) Section 35 B
- (d) Section 35 C

प्र.क्र. 16- मध्यवर्ती लाभ में यह भी शामिल है-

- (अ) दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण हुए लाभ।
- (ब) ब्याज सहित वे लाभ जो ऐसी सम्पत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने प्राप्त किया है।
- (स) दोषपूर्ण कब्जा रखने वाला व्यक्ति मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था।
- (द) उक्त ब, स दोनों।

Que. In Means Profits it also contains -

- (a) Those profits due to improvements made by the person in wrongful

possession of such property actually received.

- (b) Profits including interest which the person in wrongful possession of such property actually received.
- (c) Those profits with interest might be received therefrom with ordinary diligences by person in wrongful possession.
- (d) Both the B and C above.

- प्र.क्र. 17— पूर्व न्याय का अर्थ एवं उद्देश्य है—
- (अ) वाद की बाहुल्यता को रोकना।
 - (ब) दोहरे वाद से सुरक्षा।
 - (स) न्यायालय के विनिश्चय को सही तथा अंतिम बनाना।
 - (द) उपरोक्त सभी।

Que. Meaning and object of Res-judicata is -

- (a) To avoid the multiplicity of suits.
- (b) Double Jeopardy.
- (c) To form the determination of the court final and conclusive.
- (d) All above.

- प्र.क्र. 18— न्यायालय किसी भी समय और खर्च संबंधी ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे, वाद की किसी भी कार्यवाही में की किसी भी त्रुटि या गलती को निम्नलिखित प्रावधान के तहत संशोधित कर सकेगा—
- (अ) आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी.।
 - (ब) धारा 151 सी.पी.सी.।
 - (स) धारा 153 सी.पी.सी.।
 - (द) आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी.।

Que. The court may at any time, and on such terms as to costs or otherwise as it may think fit, amend any defect or error in any proceeding in a suit under the following provisions -

- (a) O6 R17 CPC
- (b) u/s 151 CPC
- (c) u/s 153 CPC
- (d) O41 R27 CPC

- प्र.क्र. 19— अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा—
- (अ) यदि आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी. में कोई आदेश दिया गया हो।
 - (ब) जहाँ आदेश 41 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधान को प्रभावशील किया जावे।
 - (स) दोनों दशाओं में।
 - (द) उक्त अ या ब में से कोई नहीं।

Que. Appellate court may require appellant to furnish security for costs -

- (a) If order has been passed under Order 41 Rule 5 CPC
- (b) When order has been passed under Order 41 Rule 10 CPC

- (c) In both the above conditions.
 (d) None of the above (A) or (B)

प्र.क्र. 20— जहाँ अपील आदेश 41 नियम 11 (2) या नियम 17 के अंतर्गत खारिज की जाती है, निम्न प्रावधान के अधीन अपील पुनः ग्रहण की जा सकती है—
 (अ) आदेश 9 नियम 4 या नियम 9।
 (ब) आदेश 41 नियम 19।
 (स) उपरोक्त अ एवं ब दोनों।
 (द) उक्त दोनों में से कोई नहीं।

Que. Where an appeal is dismissed under Order 41 Rule 11 (2) or Rule 17, Appellate Court can re-admit under the following provision -
 (a) Order 9 R 4 or Rule 9 CPC
 (b) Order 41 R 19 CPC
 (c) Both the above A & B
 (d) None of the above A & B

Limitation Act, 1963

(Section 3, 5 to 14, 27 & 29 Articles 64, 65 & 137)

प्र.क्र. 21— अनुच्छेद 64 के अंतर्गत अचल संपत्ति से बेकब्जा किये जाने पर, कब्जा प्राप्ति का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है :-
 (अ) पूर्व के कब्जे के आधार पर
 (ब) स्वत्व के आधार पर
 (स) लीज के आधार पर
 (द) किरायेदारी के आधार पर

Que. Under Article 64 suit for possession of immovable property can be filed:-
 (a) On the basis of previous possession
 (b) On the basis of title
 (c) On the basis of the lease
 (d) On the basis of tenancy

प्र.क्र. 22— निम्न में से किस प्रकार की प्रकृति केवादों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है:-
 (अ) कब्जे के लिए लाया गया वाद
 (ब) घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अतिक्रमण हटाये जाने हेतु वाद
 (स) बंधक संपत्ति उन्मोचन हेतु वाद
 (द) न्यास से संबंधित वाद

Que. In which of the following subject matter of suit brought for, no period of limitation is prescribed:-
 (a) Suit brought for possession
 (b) Suit for Declaration, permanent injunction and removal of

encroachment

- (c) Suit for redemption of mortgage property
- (d) Suit relating to Trust.

प्र.क्र. 23— कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल, अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है, वहाँ परिसीमा काल होगा :

- (अ) 1 वर्ष
- (ब) 3 वर्ष
- (स) 3 माह
- (द) 12 वर्ष

Que. Any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule of the act, the limitation would be :

- (a) 1 year
- (b) 3 year
- (c) 3 months
- (d) 12 year

प्र.क्र. 24— परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है :

- (अ) वाद
- (ब) अपील एवं आवेदन
- (स) निष्पादन
- (द) उपरोक्त सभी में

Que. Section 5 of the Limitation Act applies to :

- (a) Suit
- (b) Appeal and application
- (c) Execution
- (d) In the above all

प्र.क्र. 25— यदि कोई गर्भस्थ शिशु जो प्रसूति के बाद वयस्क हो गया है, संरक्षक द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति के आधिपत्य के लिए वाद प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात कितनी समयावधि में वाद प्रस्तुत कर सकता है—

- (अ) पाँच वर्ष
- (ब) चार वर्ष
- (स) तीन वर्ष
- (द) छः वर्ष

Que. If any child in womb; who has attained majority after birth; wants to file a suit for possession of property challenging sale of property by guardian, then within which period he may bring suit after attaining majority?

- (a) Five years
- (b) Four years

- (c) Three years
- (d) Six years

Specific Relief Act, 1963

(Chapter I - Section 5, 6, 7 & 8, Chapter VI - Section 34 & 35, Chapter VIII -
Section 38 & 41)

प्र.क्र. 26- धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री है :

- (अ) अपीलीय
- (ब) पुनर्विलोकनीय
- (स) न तो अपीलीय न पुनर्विलोकनीय
- (द) अपीलीय व पुनर्विलोकनीय दोनों

Que. An order or decree under Section 6 of the Act is

- (a) appealable
- (b) reviewable
- (c) neither appealable nor reviewable
- (d) both a appealable and reviewable

प्र.क्र. 27- विद्यमान बाध्यता के भंग का निवारण करने के लिये कौन सा व्यादेश जारी किया जा सकता है ?

- (अ) आज्ञापक व्यादेश
- (ब) शाश्वत व्यादेश
- (स) व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता
- (द) 'अ' व 'ब' दोनों

Que. To prevent the breach of an obligation existing in the favour of plaintiff, which injunction may be granted ?

- (a) mandatory injunction
- (b) perpetual injunction
- (c) no injunction can be granted
- (d) both A and B

प्र.क्र. 28- निम्नलिखित में से कौन सा व्यादेश न्यायालय जारी नहीं कर सकती है ?

- (अ) मलबरी व्यादेश
- (ब) शाश्वत व्यादेश
- (स) अस्थायी व्यादेश
- (द) आज्ञापक व्यादेश

Que. Which type of the following injunction of Court cannot issue ?

- (a) Mulberry Injunction
- (b) Perpetual injunction
- (c) Temporary injunction
- (d) Mandatory injunction

- प्र.क्र. 29— अचल सम्पत्ति पर वैधानिक आधिपत्य प्राप्त करने के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा-5 अनुसार उपचार स्वीकृत किया जा सकता है, यदि—
- (अ) वादी अपना स्वत्व साबित कर देवे।
 - (ब) वादी अपना वैधानिक अधिकार साबित कर देवे।
 - (स) अ एवं ब दोनों।
 - (द) मात्र आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार साबित करना पर्याप्त होता है।

Que. Remedies may be granted according to Section 5 of the Specific Relief Act 1963 regarding acquiring of legal possession on immovable property if -

- (a) Plaintiff proves his Title.
- (b) Plaintiff proves his legal right.
- (c) Both the above A & B.
- (d) Only proof of right to recovery of possession is sufficient.

- प्र.क्र.30— स्थायी निषेधाज्ञा अनुदत्त की जा सकती है —
- (अ) धारा 37 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में।
 - (ब) आदेश 39 सी.पी.सी. में।
 - (स) धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में।
 - (द) धारा 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में।

Que. Perpetual injunction can be granted -

- (a) u/s 37 Specific Relief Act
- (b) under Order 39 CPC
- (c) u/s 41 Specific Relief Act
- (d) Section 38 Specific Relief Act

Motor Vehicle Act, 1988
(Section 140, 163-A & 166)

- प्र.क्र. 31— मोटर यान अधिनियम, 1988 की किस धारा के अंतर्गत रचनात्मक सूत्र के आधार पर प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान है ?
- (अ) धारा 140
 - (ब) धारा 165 क
 - (स) धारा 163 क
 - (द) धारा 166

Que. In which Section of Motor Vehicle Act, 1988 provision of payment of compensation on structured formula is provided ?

- (a) Section 140
- (b) Section 165 A
- (c) Section 163 A
- (d) Section 166

प्र.क्र. 32— धारा 163 ए मोटर यान अधिनियम 1988 के उद्देश्यों के लिये "स्थायी अयोग्यता" का अर्थ व सीमा क्या है?

- (अ) जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में दिया गया है
- (ब) जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में दिया गया है
- (स) जैसा कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में दिया गया है।
- (द) जैसा कि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में दिया गया है।

Que. For the purpose of Section 163 A of M.V. Act what is the meaning and extent of "permanent disablement" ?

- (a) As define in M.V. Act, 1988
- (b) As define in minimum wages Act, 1948
- (c) As define in Workmen's Compensation Act, 1923
- (d) General Clauses Act, 1897

प्र.क्र.33— मोटर दुर्घटना में दावेदार / मृतक की अंशदायी उपेक्षा का प्रश्न परीक्षित किया जा सकता है:

- (अ) धारा 166 मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत दावे में
- (ब) धारा 163-ए मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत दावे में
- (स) धारा 140 मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दावे में
- (द) उपरोक्त सभी

Que. The question of contributory negligence of the claimant / deceased in a motor accident can be examined :

- (a) In a claim u/s 166
- (b) In a claim u/s 163 A
- (c) In a claim u/s 140
- (d) All of the above

प्र.क्र. 34— मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 में प्रतिकर हेतु दावेदार द्वारा आवेदन नहीं दिया जा सकेगा—

- (अ) सम्पत्ति के स्वामी द्वारा
- (ब) मृत्यु की दशा में मृतक के किसी एक या सभी विधिक प्रतिनिधि द्वारा
- (स) यदि अविवाहित पुरुष की मृत्यु होती है, तो उसके साथ संयुक्त रूप से निवासरत घनिष्ठ मित्र द्वारा।
- (द) उपरोक्त सभी।

Que. No application can be filed for compensation by the claimant under Section 166 Motor Vehicle Act 1988 -

- (a) By owner of the property.
- (b) In case of death then by all or any legal heirs of the deceased.
- (c) If death of an unmarried man than close friend who resides jointly with the deceased.
- (d) All of the above.

- प्र.क्र.35- मोटरयान अधिनियम की ----- में दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा के तथ्य को सिद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं है-
- (अ) धारा 166
 (ब) धारा 168
 (स) धारा 163ए
 (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

- Que. Fact of wrongful act or negligence is not required to be proved in a claim under Section ----- of the Motor Vehicle Act, 1988.
- (a) u/s 166
 (b) u/s 168
 (c) u/s 163 A
 (d) None of the above.

Code of Criminal Procedure, 1973

- प्र.क्र. 36- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा.....मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार करने की शक्तियों से संबंधित है ?
- (अ) धारा 40
 (ब) धारा 44
 (स) धारा 48
 (द) धारा 52

- Que. _____ of the Code of Criminal Procedure, 1973 deals with the power of the Magistrate to arrest ?
- (a) Section 40
 (b) Section 44
 (c) Section 48
 (d) Section 52

- प्र.क्र. 37- धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, के अंतर्गत अभियोजन के मामले को वापस कौन ले सकता है -
- (अ) राज्य सरकार।
 (ब) मामले का भारसाधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से।
 (स) मामले का भारसाधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति के बिना।
 (द) उपर्युक्त सभी।

- Que. Who can withdraw a case from the prosecution under Section 321, Cr. P.C.?
- (a) The State Government
 (b) Public Prosecutor Incharge of a case with permission of court
 (c) Public Prosecutor Incharge of a case even without permission of

court

(d) All the above.

प्र.क्र. 38— न्यायालय साक्षी की भावभंगिमा द.प्र.स., 1973 की किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित कर सकती है ?

- (अ) धारा 280
- (ब) धारा 279
- (स) धारा 278
- (द) धारा 281

Que. The Court can record demeanour of a witness under which section of Cr.P.C., 1973 ?

- (a) Section 280
- (b) Section 279
- (c) Section 278
- (d) Section 281

प्र.क्र. 39— जब एक विचारण में 'अ' को दिया गया दण्डादेश अपीलीय नहीं है और 'ब' को दिया गया दण्डादेश अपीलीय है, तब क्या 'अ' उसको दिये गये दण्डादेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा?

- (अ) नहीं।
- (ब) केवल विशेष अनुमति से।
- (स) हां।
- (द) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

Que. In one trial A is awarded with sentence, which is not appealable, whereas sentence against B is appealable, whether A can file an appeal against his sentence—

- (a) No
- (b) Only with special leave
- (c) Yes
- (d) There is no such provision

प्र.क्र. 40— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में अपराध के संबंध में परिसीमा काल के प्रारंभ की तारीख को वर्णित किया गया है ?

- (अ) धारा 467 में।
- (ब) धारा 468 में।
- (स) धारा 469 में।
- (द) धारा 470 में।

Que. In which section of Criminal Procedure Code, 1973 the period of limitation in relation to an offence is described?

- (a) Section 467
- (b) Section 468

- (c) Section 469
- (d) Section 470

प्र.क्र. 41— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत कि वे अनियमिततायें, जो प्रक्रिया को दूषित नहीं करती हों, बताई गयी हैं:

- (अ) धारा 460
- (ब) धारा 461
- (स) धारा 462
- (द) धारा 466

Que. In which section of Criminal Procedure Code, 1973 the irregularities which do not vitiate proceedings are mentioned:

- (a) Section 460
- (b) Section 461
- (c) Section 462
- (d) Section 466

प्र.क्र. 42— यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह संहिता की धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका के जारी किए जाने को मुत्तवी कर :

- (अ) मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द करेगा।
- (ब) किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।
- (स) परिवादी से अपने सभी साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा।
- (द) परिवाद को सेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति हेतु वापस कर देगा।

Que. If it appears to the Magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the Court of Session, he, under Section 202 Cr.P.C., postponing the issue of process against the accused :

- (a) Shall commit the case to the Court of Session.
- (b) May direct an investigation to be made by a police officer.
- (c) Shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath.
- (d) Shall return the complaint for presentation before the Court of Session.

प्र.क्र. 43— भारतीय दण्ड संहिता की कौन सी धारा "हत्या" को परिभाषित करती है ?

- (अ) धारा 299
- (ब) धारा 300
- (स) धारा 301
- (द) धारा 302

Que. Which section of the Indian Penal Code defines "Murder"?

- (a) Section 299

(b) Section 300

(c) Section 301

(d) Section 302

प्र.क्र. 44— जहां न्यायालय को यह लगता है कि अभियुक्त के पास अभिभाषक नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, न्यायालय राज्य के व्यय पर उसकी प्रतिरक्षा के लिए अभिभाषक नियुक्त करेगा, यह प्रावधान किस धारा में है ?

(अ) धारा 104

(ब) धारा 144

(स) धारा 303

(द) धारा 304

Que. Where it appears to the Court that the accused do not have sufficient means to engage a pleader, the Court shall assign a pleader for his defence at the expense of the State. This provision is in which section ?

(a) Section 104

(b) Section 144

(c) Section 303

(d) Section 304

प्र.क्र. 45— सेशन न्यायालय द्वारा दिये गये मृत्यु दंडादेश कार्यवाही की पुष्टी हेतु प्रस्तुत की जायेगी :

(अ) राज्य शासन के समक्ष

(ब) केन्द्रीय शासन के समक्ष

(स) उच्च न्यायालय के समक्ष

(द) उच्चतम न्यायालय के समक्ष

Que. Sentence of death awarded by court of Sessions, the proceeding shall be submitted to confirmation before :

(a) The State of Government

(b) The Central Government

(c) The High Court

(d) The Supreme Court

प्र.क्र. 46— धारा 357 क (2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा ?

(अ) सेशन न्यायाधीश

(ब) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(स) जिला मजिस्ट्रेट

(द) राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

Que. Under Section 357 A (2) Cr.PC. which of the authority is authorised to decide quantum of compensation ?

(a) Sessions Judge

(b) Chief Judicial Magistrate

(c) District Magistrate

(d) State or District legal Services Authority

प्र.क्र. 47— ऐसे किसी मामले में, जो अन्वेषण के पश्चात् किसी अंसज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट —

- (अ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट समझी जायेगी।
- (ब) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट समझी जायेगी।
- (स) परिवाद समझी जायेगी।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. A report made by a police officer in a case which discloses, after investigation, the commission of a non-cognizable offence -

- (a) Shall be deemed to be a report under section 169 of Code of Criminal Procedure, 1973
- (b) Shall be deemed to be a report under section 173 of Code of Criminal Procedure, 1973
- (c) Shall be deemed to be a complaint
- (d) None of the above

प्र.क्र. 48— सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी हेतु वारंट जारी करने की अधिकारिता निम्न में से किसे नहीं है।

- (अ) जिला दण्डाधिकारी
- (ब) अनुविभागीय दण्डाधिकारी
- (स) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
- (द) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी

Que. Who cannot issue a search warrant for persons wrongfully confined

- (a) District Magistrate
- (b) Sub Divisional Magistrate
- (c) Judicial Magistrate First Class
- (d) Judicial Magistrate Second Class

प्र.क्र. 49— जहां लिखित परिवाद किया गया है, संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी और उसके साक्षियों का परीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा, यदि

- (अ) न्यायालय द्वारा परिवाद किया गया है
- (ब) मजिस्ट्रेट मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 192 के अंतर्गत जांच या विचारण हेतु किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है
- (स) यदि परिवाद किसी लोक सेवक द्वारा अपने कार्यालयीन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रस्तुत किया गया है
- (द) उपरोक्त सभी

Que. When a complaint is made in writing, the Magistrate taking cognizance of an offence on complaint, need not examine the complainant and the witnesses, if

- (a) a court has made a complaint

- (b) the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192 of Cr.P.C., 1973.
- (c) a public servant acting in the discharge of his official duties made the complaint
- (d) all of the above

प्र.क्र. 50— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 232 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए कौन सी पूर्व शर्त नहीं है?

- (अ) अभियोजन का साक्ष्य लेना
- (ब) अभियुक्त का परीक्षण करना
- (स) प्रतिरक्षा का साक्ष्य लेना
- (द) इस बिंदु पर अभियोजन एवं प्रतिरक्षा को सुनना

Que. Which is not a pre condition to acquit the accused person under section 232 of Code of Criminal Procedure Code.

- (a) after taking evidence for the prosecution
- (b) after examining the accused
- (c) after taking defence evidence
- (d) after hearing the prosecution and defence on the point

प्र.क्र. 51— किसी शर्त के भंग होने के कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र तथा प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंधपत्र रद्द हो जाएंगे; धारा ----- द.प्र.सं. के प्रभाव से।

- (अ) 421
- (ब) 446
- (स) 446ए
- (द) 445

Que. Breach of any condition the bond executed by such person as well as the bond executed by his sureties in that case shall stand cancelled with effect from Section ----- Cr.P.C.

- (a) 421
- (b) 446
- (c) 446 A
- (d) 445

प्र.क्र. 52— न्यायालय धारा 216 द.प्र.सं. के अधीन निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है—

- (अ) आरोप में परिवर्तन व परिवर्धन दोनों का।
- (ब) मात्र आरोप में परिवर्तन करने का।
- (स) केवल आरोप में परिवर्धन करने का।
- (द) आरोप में न तो परिवर्तन करने का, न ही परिवर्धन करने का।

Que. Court can exercise power which is vested u/s 216 Cr.P.C -

- (a) Add to and alter the charges both.
- (b) Only alter the charges already framed.

- (c) Only add to the charges already framed.
- (d) Neither to alter nor to add to the charges already framed.

प्र.क्र. 53- द.प्र.सं. की धारा ----- के तहत पीड़ित व्यक्ति सीमित आधारों पर अपील संस्थित कर सकता है—
(अ) 378
(ब) 374
(स) 372
(द) 397

Que. Under Section ----- of Criminal Procedure Code the victim may filed an appeal on limited /certain grounds -
(a) u/s 378
(b) u/s 374
(c) u/s 372
(d) u/s 397

प्र.क्र. 54- कौन से विचारण में अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक नहीं है—
(अ) वारण्ट विचारण में
(ब) समन विचारण में
(स) विशेष मामलों के विचारण में
(द) सेशन मामलों के विचारण में

Que. In which trial, hearing of the accused on sentence is not necessary -
(a) Warrant Trial
(b) Summons trial
(c) Trial of special case
(d) Trial of sessions cases

प्र.क्र. 55- सह अपराधी को क्षमादान का प्रावधान किया गया है -
(अ) धारा 314 द.प्र.सं.
(ब) धारा 306 द.प्र.सं.
(स) धारा 319 द.प्र.सं.
(द) धारा 301 द.प्र.सं.

Que. The tender of pardon to accomplice is provided -
(a) u/s 314 Cr. P.C.
(b) u/s 306 Cr. P.C.
(c) u/s 319 Cr. P.C.
(d) u/s 301 Cr. P.C.

Indian Evidence Act, 1872

प्र.क्र. 56— साक्ष्य अधिनियम की धारा 113—ख के अंतर्गत बाध्यकारी उपधारणा करने के लिये कौन-कौन सी पूर्व शर्त नहीं है ?

- (अ) अभियुक्त का विचारण दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के लिये हुआ हो।
- (ब) मृतक महिला के साथ पति या पति के नातेदारों ने कूरता की हो या तंग किया हो।
- (स) ऐसी कूरता या तंग करना या दहेज अथवा दहेज की मांग के संबंध में की गई हो।
- (द) ऐसी कूरता या तंग करना महिला की मृत्यु के ठीक पूर्व की गई हो।

Que. Which is not a pre-condition to raise a obligatory presumption u/s 113-b of the evidence act?

- (a) the accused is being tried for the offence u/s 4 of the dowry prohibition act 1961
- (b) the deceased woman was subjected to cruelty or harassment by her husband or his relative.
- (c) such cruelty or harassment was for or in connection with any demand for dowry
- (d) such cruelty or harassment was soon before her death

प्र.क्र. 57— निम्न में से कौन-सा एक दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है ?

- (अ) न्यायालय का निर्णय।
- (ब) पुलिस का अभियोग पत्र।
- (स) शव विच्छेदन प्रतिवेदन।
- (द) वसीयत।

Que. Which one document from the following is not a public document ?

- (a) judgement of court
- (b) police charge sheet
- (c) postmortem report
- (d) will

प्र.क्र. 58— एक बलात्कार के अभियोजन में, मुख्य परीक्षा में अभियोक्त्री से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न:

- (अ) पूछे जा सकते हैं
- (ब) नहीं पूछे जा सकते हैं
- (स) न्यायालय की विशेष अनुमति से पूछे जा सकते हैं
- (द) अभियोक्त्री की सहमति से पूछे जा सकते हैं

Que. In a prosecution for a rape, question in cross examination of the prosecutrix as to her general immoral character are :

- (a) permissible
- (b) not permissible
- (c) permissible with the special permission of the court

(d) permissible if the prosecutrix consents to it

प्र.क्र. 59— किसी साक्षी का समान तथ्य के बारे में पूर्व कथन, साक्षी के पश्चात्पूर्वी परिसाक्ष्य के समर्थन हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत साबित किया जा सकता है ?

- (अ) धारा 157
- (ब) धारा 151
- (स) धारा 156
- (द) धारा 155

Que. Former statement of a witness may be proved to corroborate later testimony as to the same fact, as provided under which section of Indian Evidence Act ?

- (a) section 157
- (b) section 151
- (c) section 156
- (d) section 155

प्र.क्र. 60— बिना न्यायालय की अनुमति के सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं :

- (अ) मुख्य परीक्षण में
- (ब) प्रतिपरीक्षण में
- (स) पुनः परीक्षण में
- (द) किसी परिस्थिति में भी नहीं

Que. Leading question can be asked without permission of the Court during :

- (a) examination in chief
- (b) cross-examination
- (c) re-examination
- (d) under no circumstances

प्र.क्र. 61— पहचान कार्यवाही है :

- (अ) सारवान् साक्ष्य
- (ब) संपोषक साक्ष्य
- (स) कोई साक्ष्य नहीं
- (द) अनुश्रुत साक्ष्य

Que. Test Identification Parade is :

- (a) substantive evidence
- (b) corroborative evidence
- (c) no evidence
- (d) hearsay evidence

प्र.क्र. 62— दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा "परिवाद" को परिभाषित करती है ?

- (अ) धारा 2—जी

- (ब) धारा 2-डी
- (स) धारा 2-ई
- (द) धारा 2- एफ

Que. Which Sec. of the Cr.P.C. defines “complaint”

- (a) Sec. 2-g
- (b) Sce. 2-d
- (c) Sec. 2-e
- (d) Sec. 2-f

प्र.क्र. 63- तथ्य के अंतर्गत आता है।

- (अ) ऐसी कोई वस्तु जो इन्द्रियो द्वारा बोधगम्य हो।
- (ब) कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।
- (स) किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा हो।
- (द) उपरोक्त सभी।

Que. “Fact” includes

- (a) Anything capable of being perceived by the sense
- (b) Any mental condition of which any person is conscious
- (c) A man heard or saw something
- (d) All of the above

प्र.क्र. 64- क अपनी पत्नि ग के साथ जारकर्म करने के लिये ख का अभियोजन करता है। ख का इस बात का प्रत्याख्यान करता है, कि ग, क की पत्नि है, किन्तु न्यायालय ख को जारकर्म के लिये दोषसिद्ध करता है। तत्पश्चात् क के जीवनकाल में ख के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिये ग अभियोजित की जाती है। ग कहती है, कि वह क की पत्नि कभी नहीं थी।

- (अ) ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध सुसंगत है।
- (ब) ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध सुसंगत है, किन्तु निश्चायक सबूत की भांति नहीं।
- (स) ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध सुसंगत है तथा ग इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है।
- (द) ख के विरुद्ध निर्णय, ग के विरुद्ध असंगत है।

Que. A prosecutes B for adultery with C, A’s wife. B denies that C is A’s wife, but the Court convicts B of adultery. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A’s lifetime. C says that she never was A’s wife

- (a) The judgment against B is relevant as against C
- (b) The judgment against B is relevant as against C but not as a conclusive proof
- (c) The judgment against B is relevant as against C and C can lead evidence against it

(d) The judgement against B is irrelevant as against C

प्र.क्र. 65— किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणन विधि द्वारा आवश्यक है। यदि किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके तो —

- (अ) यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है।
- (ब) यह साबित करना होगा कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है।
- (स) उपरोक्त दोनों अनिवार्य है।
- (द) केवल अ अनिवार्य है।

Que. To prove a document required by law to be attested, If no attesting witness can be found, then

- (a) it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting
- (b) it must be proved that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person
- (c) Both the above are necessary
- (d) Only (a) is necessary

प्र.क्र. 66— क किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है।

- (अ) क को यह साबित करना होगा, कि दस्तावेज उसके आधिपत्य में नहीं है।
- (ब) क को यह साबित करना होगा, कि मूल दस्तावेज अस्तित्व में है।
- (स) क को यह साबित करना होगा, कि दस्तावेज खो गई है।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document.

- (a) A must prove that the document is not in his custody
- (b) A must prove the existence of the original document
- (c) A must prove that the document has been lost.
- (d) None of the above

प्र.क्र. 67— एक पंजीकृत वसीयत साबित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि बुलाया जाए—

- (अ) कम-से-कम एक अनुप्रमाणक साक्षी।
- (ब) सभी अनुप्रमाणक साक्षी।
- (स) एक अनुप्रमाणक साक्षी व वसीयत लेखक।
- (द) पंजीकृत अधिकारी व एक अनुप्रमाणक साक्षी।

Que. To prove a registered will deed, always necessary to call -

- (a) At least one attested witness.
- (b) All the attested witness.
- (c) One attested witness and the scribe of the will.

(d) One attesting witness and the registering officer.

- प्र.क्र. 68— एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य योग्य साक्ष्य है—
 (अ) यदि उनका संयुक्त विचारण भिन्न अपराध के लिए किया जाता है।
 (ब) यदि उनका भिन्न अपराधों के लिए विचारण किया जाता है और संयुक्त नहीं।
 (स) यदि उनका संयुक्त विचारण समान अपराध के लिए किया जाता है।
 (द) यदि उनका विचारण समान अपराधों के लिए किया जाता है, परंतु संयुक्त नहीं।

Que. Confession of an accused is admissible evidence against co-accused -

- (a) If they are tried jointly for different offences.
 (b) If they are tried for different offences and not jointly.
 (c) If they are tried jointly for the same offences.
 (d) If they are tried for the same offences but not jointly.

- प्र.क्र. 69— प्रश्न यह कि क्या क ने ख को विष दिया; विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की सभी आदतें, जिनसे विष देने का अवसर मिला—
 (अ) असंगत तथ्य है।
 (ब) सुसंगत तथ्य है।
 (स) अंशतः सुसंगत व अंशतः असंगत तथ्य है।
 (द) उपरोक्त सभी सही हैं।

Que. The question is, whether A poisoned B, the state of B's health before the symptoms ascribed to poisoned, and habits of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison -

- (a) are irrelevant fact.
 (b) are relevant fact.
 (c) are partial relevant fact and are partial irrelevant fact.
 (d) All of the above is correct.

- प्र.क्र. 70— साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में "खोजा गया तथ्य" से आशय है—
 (अ) अभियुक्त का उक्त वस्तु तथा स्थान के बारे में ज्ञान।
 (ब) वह स्थान जहाँ से वस्तु प्रस्तुत की जाती है।
 (स) जहाँ वस्तु अंतरित की जाती है।
 (द) उपरोक्त सभी।

Que. Under Section 27 of the Evidence Act the "Discovery of fact" means -

- (a) The knowledge of the accused as to the object and the place.
 (b) The place from where the object is produced.
 (c) The place where the object was transferred.
 (d) All of the above.

Indian Penal Code, 1860

प्र.क्र. 71— निम्नलिखित में से कौन सा 'राजद्रोह' के लिए आवश्यक तत्व है ?

- (अ) बेईमानी का आशय
- (ब) दुर्भावनापूर्ण आशय
- (स) बोले गये शब्द लोक व्यवस्था को भंग करने का कारण हों
- (द) बोले गये शब्द सरकार के प्रति अप्रीति प्रदीप्त करने के लिए अवश्य पर्याप्त हों

Que. Which one of the following is an essential ingredient of sedition ?

- (a) dishonest intention.
- (b) malafide intention.
- (c) words spoken must cause public disorder by acts of violence.
- (d) words spoken must be capable of exciting disaffection towards the government.

प्र.क्र. 72— 'य' ने यात्रा पर जाते समय अपनी सोने की प्लेट 'ए' को 'य' के लौटने तक सौंप देता है। 'ए' उसे प्लेट को बाजार ले जाता है और बेच देता है। 'ए' ने कौन सा अपराध किया है :-

- (अ) चोरी
- (ब) छल
- (स) उद्दापन
- (द) आपराधिक न्यासभंग

Que. 'Z' going on a journey, entrusts his Golden plate to 'A', till Z shall return. 'A' carries the plate to the market and sells it. What crime was committed by 'A' :-

- (a) theft
- (b) cheating
- (c) extortion
- (d) criminal breach of trust

प्र.क्र. 73— अपराध के किसी सिद्धदोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है:-

- (अ) छः माह
- (ब) तीन माह
- (स) दो माह
- (द) एक माह

Que. For how long, in a whole, a convicted person for a crime be kept in solitary confinement :

- (a) 6 months
- (b) three months
- (c) two months
- (d) one month

- प्र.क्र. 74- 'Z' से गंभीर और अचानक प्रकोपन से 'X' जानबूझकर 'Y' की मृत्यु कर देता है, जो कि 'Z' का भाई है, 'X' ने अपराध किया-
- (अ) हत्या
 (ब) आपराधिक मानव बध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता
 (स) गंभीर उपहति
 (द) हत्या का प्रयास
- Que. 'X' ON receiving grave and sudden provocation from 'Z' intentionally causes the death of 'Y', who is brother of 'Z', 'X' has committed :
- (a) murder
 (b) culpabale homicide not amounting to murder
 (c) grevius hurt
 (d) attempt to murder
- प्र.क्र. 75- 'अ' एक महिला को लैंगिक स्वीकृति के लिये मांग या अनुरोध करने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत किस अपराध का दोषी होगा
- (अ) धारा 354 ए
 (ब) धारा 354 बी
 (स) धारा 354 सी
 (द) धारा 354 डी
- Que. A demand or request for sexual favour from a woman is punishable offence under Indian Penal Code, 1860, under:
- (a) Section 354A
 (b) Section 354B
 (c) Section 354C
 (d) Section 354D.
- प्र.क्र. 76- यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि में से अधिकतम अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है।
- (अ) समान
 (ब) आधी
 (स) एक तिहाई
 (द) एक चौथाई
- Que. If offence is punishable with imprisonment and fine both, then in default of payment of fine. the maximum term, may be -----the prescribed maximum term
- (a) Equal to
 (b) Half of
 (c) One third of
 (d) One fourth of

प्र.क्र. 77— 'क' 'ख' को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से 'ख' को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे 'क' को परिदत्त कर दे, 'क' द्वारा किया गया अपराध है ?

- (अ) छल
- (ब) उद्दापन
- (स) आपराधिक न्यास भंग
- (द) कूटरचना

Que. 'A' by putting 'B' in fear of grievous hurt, dishonestly induces 'B' to sign on a blank paper and deliver it to 'A'. 'A' has committed the offence of :

- (a) Cheating
- (b) Extortion
- (c) Criminal breach of trust
- (d) Forgery

प्र.क्र. 78— भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य दुश्प्रेरणा का तरीका/प्रकार नहीं है ?

- (अ) उकसाना
- (ब) सहायता करना
- (स) षड्यंत्र
- (द) प्रयत्न

Que. Which one of the following acts is not a mode of abetment under the IPC ?

- (a) Instigation
- (b) Aiding
- (c) Conspiracy
- (d) An attempt

प्र.क्र. 79— कौनसी उपहति घोर उपहति नहीं है ?

- (अ) किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद
- (ब) अस्थि का विसंधान
- (स) किसी जोड़ की शक्ति का स्थायी ह्रास
- (द) पन्द्रह दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना

Que. Which hurt is not a grievous hurt ?

- (a) Permanent privation of the sight of either eye
- (b) Dislocation of any bone
- (c) Permanent impairing of the powers of any joint
- (d) Suffering of fifteen days from severe bodily pain

प्र.क्र. 80— 'क' ने लोक मार्ग पर वाहन उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर 'ख' की सम्पत्ति को क्षति कारित की। 'क' ने भा.दं.सं. की कौन सी धारा/धाराओं का अपराध किया है ?

- (अ) 279 भादस
- (ब) 279 एवं 425 भादस
- (स) 425 भादस
- (द) 279 एवं 337 भादस

Que. A drove the car rashly or negligently on the public way and damaged the property of B. Thereby he committed offence under what section/sections ?

- (a) 279 IPC
- (b) 279 and 425 IPC
- (c) 425 IPC
- (d) 279 and 337 IPC

प्र.क्र. 81— आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का अपराध इस धारा के अंतर्गत दण्डनीय है :

- (अ) 304 भादस
- (ब) 308 भादस
- (स) 307 भादस
- (द) 301 भादस

Que. The offence of attempt to commit 'culpable homicide' is punishable under section :

- (a) 304 IPC
- (b) 308 IPC
- (c) 307 IPC
- (d) 301 IPC

प्र.क्र. 82— कोई व्यक्ति बेईमानी से कार्य करता है, कहा जाता है—

- (अ) जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करें या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करें।
- (ब) यदि वह कपट वंचित करने के आशय से ऐसा करता है, किन्तु अन्यथा नहीं।
- (स) यदि वह विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक नहीं रखता, किन्तु अन्यथा नहीं।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. A person said to do thing "Dishonestly"

- (a) Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person,
- (b) if he does that thing with intent to defraud but not otherwise
- (c) if he does not have sufficient cause to believe that thing but not otherwise.
- (d) None of the above

प्र.क्र. 83— जहां अपराध केवल अर्थदंड से दंडनीय है, दो सौ रुपये अर्थदंड अदा न करने पर कारावास की अवधि हो सकेगी

- (अ) छः मास

- (ब) चार मास
- (स) तीन मास
- (द) दो मास

Que. When offence punishable with fine only, the imprisonment for non-payment of fine of Rs 200, may be upto

- (a) Six months
- (b) Four months
- (c) Three months
- (d) Two months

प्र.क्र. 84— यदि कोई कार्य, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किये जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है—

- (अ) जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती
- (ब) चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।
- (स) उपरोक्त दोनों।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. There is no right of private defence against an act, if done, or attempted to be done by a public servant acting in good faith under colour of his office

- (a) which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt
- (b) though that act may not be strictly justifiable by law.
- (c) Both of the above
- (d) None of the above

प्र.क्र. 85— क को राजमार्ग पर एक रूपया पडा मिलता है। यह न जानते हुए कि वह रूपया किसका है क उस रूपये को उठा लेता है

- (अ) क ने धारा 402 भा.दं.सं. में परिभाषित अपराध कारित किया है।
- (ब) क ने धारा 403 भा.दं.सं. में परिभाषित अपराध कारित किया है।
- (स) क ने धारा 404 भा.दं.सं. में परिभाषित अपराध कारित किया है।
- (द) क ने धारा 403 भा.दं.सं. में परिभाषित अपराध कारित नहीं किया है।

Que. A finds a rupee on the high-road, not knowing to whom the rupee belong, A picks up the rupee

- (a) A has committed the offence defined in section 402 I.P.C.
- (b) A has committed the offence defined in section 403 I.P.C.
- (c) A has committed the offence defined in section 404 I.P.C.
- (d) A has not committed the offence defined in section 403 I.P.C.

प्र.क्र. 86— यदि लूट कारित करते हुए अपराधी चाकू का उपयोग करता है, किंतु वह पीड़ित को कोई चोट नहीं पहुँचाता है, तो ऐसा अपराध दण्डनीय होगा—

- (अ) धारा 392 भा.दं.सं. के अन्तर्गत
- (ब) धारा 394 भा.दं.सं. के अन्तर्गत
- (स) धारा 392 सपठित धारा 397 भा.दं.सं. के अन्तर्गत
- (द) धारा 398 भा.दं.सं. के अन्तर्गत

Que. If, at the time of committing robbery the offender uses a knife but no any injury causes to the victim, offence punishable under -

- (a) u/s 392 Indian Penal Code
- (b) u/s 394 Indian Penal Code
- (c) u/s 392 read with 397 Indian Penal Code
- (d) u/s 398 Indian Penal Code

प्र.क्र. 87— किसी अपराध का दुष्प्रेरण—

- (अ) सदैव अपराध नहीं होता है।
- (ब) सदैव अपराध होता है।
- (स) परिस्थितियों के कारण अपराध हो सकता है; हमेशा नहीं।
- (द) परिस्थितियों के कारण अपराध नहीं भी हो सकता है।

Que. Abatement in any offence is -

- (a) Always not an offence
- (b) Always an offence
- (c) Due to circumstances, may be an offence but not always
- (d) May not be an offence due to circumstances

प्र.क्र. 88— क, कुछ नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरों के रूप में गिरवी रखकर य से साशय प्रवंचना करता है, और एतद द्वारा धन उधार देने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क ने —————

- (अ) कोई अपराध नहीं किया है।
- (ब) धारा 421 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध किया है।
- (स) धारा 418 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध किया है।
- (द) धारा 415 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध किया है।

Que. A, by placing some diamonds articles which he knows are not diamonds, intentionally deceives Z, and thereby dishonestly induces Z to lend money. A has committed -

- (a) No Offence has been committed
- (b) Offence committed u/s 421 I.P.C.
- (c) Offence committed u/s 418 I.P.C.
- (d) Offence committed u/s 415 I.P.C.

प्र.क्र. 89— सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना दण्डनीय अपराध है—

- (अ) धारा 329 भा.दं.सं.
- (ब) धारा 331 भा.दं.सं.

(स) धारा 327 भा.दं.सं.

(द) धारा 384 भा.दं.सं.

Que. Voluntarily causing hurt to extort property, or constrain to do an illegal act as punishable act -

(a) Section 329 I.P.C.

(b) Section 331 I.P.C.

(c) Section 327 I.P.C.

(d) Section 384 I.P.C.

प्र.क्र. 90— क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारियों को बैठा देता है और ख से कह देता है कि यदि य भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा, तो वे य को गोली मार देंगे। य सोलह दिनों तक परिरोध में रहा, धारा ————— का अपराध होगा।

(अ) धारा 342 भा.दं.सं.

(ब) धारा 339 भा.दं.सं.

(स) धारा 345 भा.दं.सं.

(द) धारा 344 भा.दं.सं.

Que. A, places men with firearms at the outlets of a building, and tells B that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. Z is confined for 16 days, offence will be punishable under Section -----.

(a) Sec. 342 I.P.C.

(b) Sec. 339 I.P.C.

(c) Sec. 345 I.P.C.

(d) Sec. 344 I.P.C.

Negotiable Instrument Act, 1881

(Section 138 to 142)

प्र.क्र. 91— परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 की कार्यवाही के अधीन कौन-सा बचाव स्वीकार नहीं किया जा सकता:-

(अ) चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ब) परिवादी चेक का सम्यक् अनुक्रम धारक, अथवा पाने वाला नहीं है।

(स) चेक जारी किये जाने के समय उसे जानने का कोई कारण नहीं था कि वह चेक अनादर हो जावेगा।

(द) उसने ऐसे किसी उत्तरदायित्व के लिए चेक जारी किया था, जो विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं था।

Que. Which defence may not be allowed in the proceedings u/s 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 :-

(a) He had not put his signature on the cheque

(b) The complainant is not the payee or the holder of cheque in due course

(c) He had no reason to believe when cheque was issued that the same may be dishonored

(d) He had issued the cheque in connection with the liability which was not legally enforceable

- प्र.क्र. 92— परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 :- एक ही संव्यवहार में कई चेक जारी किए गए , सभी चेकों के संबंध में एक परिवाद :
- (अ) प्रचलन योग्य है।
 - (ब) प्रचलन अयोग्य है।
 - (स) केवल तभी जब एक ही नोटिस भेजा गया हो।
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

Que. Negotiable Instrument Act , 1881 :- Cheques issued under same transaction dishonoured , one complaint in respect of all cheques-

- (a) Maintainable
- (b) Non-maintainable
- (c) only when a single notice is sent
- (d) None of the above

- प्र.क्र. 93— परिवादी को अधिनियम की धारा 138 के अधीन पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कहां करनी होगी ?
- (अ) सेशन न्यायालय में
 - (ब) उच्च न्यायालय में
 - (स) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां
 - (द) सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में

Que. In which court, the complainant has to file an appeal against the order of acquittal u/s 138 of the Act ?

- (a) Court of session
- (b) High Court
- (c) Chief Judicial Magistrate
- (d) Either in court of Session or High Court.

- प्र.क्र. 94— एक न्यायालय परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता
- (अ) चैक के आदाता के लिखित परिवाद पर
 - (ब) सम्यक अनुक्रम में चैक के धारक के लिखित परिवाद पर
 - (स) चैक के आदाता अथवा सम्यक अनुक्रम में चैक के धारक, जैसा मामला हो, के मौखिक परिवाद पर
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. A court cannot take cognizance of offence under Negotiable Instruments Act 1881 on

- (a) Written complaint of payee of the cheque
- (b) Written complaint of the holder in due course of the cheque
- (c) Oral complaint of the payee or, as the case may be, the holder in due

course of the cheque

(d) None of the above

प्र.क्र. 95— धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणाओं को खण्डित करने के लिए अभियुक्त को —

(अ) प्रतिफल का अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही साबित करना चाहिए।

(ब) प्रतिफल का अभाव युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए।

(स) प्रतिरक्षा में कुछ साक्ष्य देना ही चाहिए।

(द) अधिसंभावनाओं की प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर उपधारणाओं को खण्डित किया जा सकता है।

Que. In order to rebut the presumptions under section 139 of Negotiable Instrument Act, Accused -

(a) must prove the absence of consideration by direct evidence

(b) must prove the absence of consideration beyond reasonable doubt

(c) must give some evidence in defence

(d) may rebut the presumption on the principal of preponderance of probability

Electricity Act, 2003

प्र.क्र. 96— उपेक्षापूर्ण ढंग से व्यवधान या कार्यों की क्षति विद्युत अधिनियम, 2003 की किस धारा के अंतर्गत दण्डनीय है :

(अ) धारा 137

(ब) धारा 138

(स) धारा 139

(द) धारा 140

Que. Negligently breaking or damaging works is punishable under section of Electricity Act 2003 ?

(a) Section 137

(b) Section 138

(c) Section 139

(d) Section 140

प्र.क्र. 97— विद्युत अधिनियम, 2003 के अपराधों का दुष्प्रेरण किस धारा के अंतर्गत दण्डनीय है ?

(अ) धारा 150 विद्युत अधिनियम

(ब) धारा 149 विद्युत अधिनियम

(स) धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता

(द) धारा 113 भारतीय दण्ड संहिता

Que. Abetment of offences of Electricity Act, 2003 is punishable under which Section ?

(a) Section 150 Electricity Act

- (b) Section 149 Electricity Act
- (c) Section 109 Indian Penal Code
- (d) Section 113 Indian Penal Code

प्र.क्र. 98— विद्युत अधिनियम की धारा 96 के तहत , एक छापा डालने के लिए उपभोक्ता को :

- (अ) 24 घण्टों का सूचना पत्र देना आवश्यक है।
- (ब) 12 घण्टों का सूचना पत्र देना आवश्यक है।
- (स) 48 घण्टों का सूचना पत्र देना आवश्यक है।
- (द) कोई सूचना पत्र आवश्यक नहीं है।

Que. Under Sec. 96 of the Electricity Act, for conducting a raid :

- (a) 24 hours notice to the consumer is necessary
- (b) 12 hours notice to the consumer is necessary
- (c) 48 hours notice to the consumer is necessary
- (d) No notice is necessary

प्र.क्र. 99— सिविल न्यायालय को विद्युत अधिनियम के किन विवादों की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है ?

- (अ) धारा 126 एवं धारा 127 की परिधि में आने वाले मामले
- (ब) धारा 126 एवं 123 की परिधि में आने वाले मामले
- (स) धारा 124 एवं 125 की परिधि में आने वाले मामले
- (द) धारा 127 एवं 125 की परिधि में आने वाले मामले

Que. In which type of disputes civil court not to have hearing jurisdiction

- (a) dispute falls within ambit of Sec. 126 and Sec. 127
- (b) dispute falls within ambit of Sec. 126 and Sec. 123
- (c) dispute falls within ambit of Sec. 124 and Sec. 125
- (d) dispute falls within ambit of Sec. 127 and Sec. 125

प्र.क्र. 100— धारा 154 (3) विद्युत अधिनियम के अधीन संक्षिप्त विचारण में विशेष न्यायालय किसी प्रकार से दोषसिद्धि की दशा में कारावास का अधिकतम दण्डादेश पारित कर सकेगा, जो होगा—

- (अ) 3 वर्ष से अनधिक
- (ब) 1 वर्ष से अनधिक
- (स) 5 वर्ष से अनधिक
- (द) 2 वर्ष से अनधिक

Que. In case of any conviction by a special court under Section 154 (3) of Electricity Act, 2003 in summary trial, may pass a maximum sentence of imprisonment of a term -

- (a) Not exceeding three years
- (b) Not exceeding one years
- (c) Not exceeding five years
- (d) Not exceeding two years
